

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-व-15 (24) अप.शा./विधि/2013/ 0281-0331

दिनांक : 25-9-13

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।

समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान मय रेल्वेज जयपुर।

समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

समस्त पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान, मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषय:- अभियोजन की संस्वीकृति-संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी की साक्ष्य के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 142/22/2007 / ए.पी.डी.-प्रथम/दिनांक 10.11.2008 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर आप से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी को सामान्यतया (in routine) साक्षी नहीं बनाया जाए व यदि आवश्यक हो तो उनके कार्यालय की संबंधित शाखा के किसी अधिकारी/कर्मचारी को साक्षी बनाया जाए।

इन निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(कपिल गर्ग)

अति. महानिदेशक पुलिस,
(अपराध शाखा), राज., जयपुर।

सं. 142/22/2007-ए.वी.डी.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.

दिनांक : 10 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- अभियोजन की संस्वीकृति -- संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी का साक्ष्य ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जांच एजेंसियों सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1) के अंतर्गत दी गई संस्वीकृति की वैधता साबित करने के उद्देश्यार्थ अभियोजन गवाहों की सूची में सामान्यतया संस्वीकृति प्राधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी का नाम शामिल करते हैं । ऐसा देखा गया है कि संस्वीकृति साबित करने हेतु साक्ष्य दर्ज करने के लिए समन, सामान्यतः संबंधित अधिकारी द्वारा पद छोड़ने के काफी समय बाद और कई बार तो उक्त अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के काफी समय बाद प्राप्त होते हैं । साक्ष्य दर्ज करने/क्रॉस परीक्षण की प्रक्रिया में कई बार अदालत जाना पड़ता है । जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको यात्रा/ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है और बाद में संबंधित विभागों/संगठनों से प्रतिपूर्ति का दावा करना पड़ता है । इससे संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी को काफी असुविधा होती है ।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी का व्यक्तिगत साक्ष्य, संस्वीकृति को साबित करने हेतु एक कानूनी अपेक्षा है अथवा क्या इसे अन्य तरीके से भी साबित किया जा सकता है ?

2. यह प्रश्न कि क्या संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी का व्यक्तिगत साक्ष्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अंतर्गत दी गई संस्वीकृति की वैधता साबित करने हेतु एक कानूनी अपेक्षा है, की विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के परामर्श से जांच की गई है ।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मो० इकबाल अहमद बनाम आंध्रप्रदेश राज्य सी.आर.एल.जे. 633 (एस.सी.) और राजस्थान राज्य बनाम डॉ० ए. के. दत्ता ए.आई.आर. 1981 एस.सी. के मामले में निर्णय दिया था कि संस्वीकृति को साबित करने की अपेक्षा को तरीके से पूरी की जा सकती है - मूल संस्वीकृति प्रस्तुत करके, जिसमें अपराध और संतुष्टि के आधार से संबंधित तथ्य स्वयं निहित होते हैं अथवा किसी बाहरी स्रोत से साक्ष्य प्रस्तुत करके यह दिखाना कि संस्वीकृति अधिकारी के समक्ष तथ्य रखे गए और संतुष्टि की गई। सी.आई.आई., इकबाल बनाम पी.गुरुजगन 1990 सी.आर.एल.जे. 3638 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संस्वीकृति पर हस्ताक्षर संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी अथवा उस लिपिक द्वारा साबित किया जाए, जिसने संस्वीकृति प्राधिकारी को देखा है अथवा जो संस्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर से परिचित है। जैसे ही हस्ताक्षर साबित हो जाता है और यदि संस्वीकृति आदेश एक स्पष्ट आदेश है, तो मानला यही समाप्त हो जाता है; अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना पड़ेगा कि संस्वीकृति प्राधिकारी ने संस्वीकृति देने से पहले सामग्री को गौर से देखा है, जो एक निर्दिष्ट प्रकार का न हो। बाबराली भद्रमताली मैगट बनाम गुजरात राज्य 1991 सी.आर.एल.जे. 1269 (गुजरात) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि तथ्य संस्वीकृति के अनुरूप प्रतीत होते हैं, तो उस प्राधिकारी के साक्ष्य द्वारा इसे साबित करने का प्रश्न नहीं है, जिसने अभियोजन के लिए संस्वीकृति दी है। यह दिखाने के लिए अलग से साक्ष्य आवश्यक नहीं है कि संगत तथ्य संबंधित तथ्य प्राधिकारी के समक्ष रखे गए थे। यदि तथ्य संस्वीकृति के अनुरूप नहीं हैं, तो यह निष्पक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है कि उन तथ्यों को संस्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने के बाद ही संस्वीकृति दी गई। राज्य बनाम के. नरसिंहाचारी (2006 सी.आर.एल.जे. 518 एस.सी.) के मामले में शीर्षस्थ न्यायालय ने फैसला दिया था कि चूंकि अभियोजन संस्वीकृति आदेश एक सार्वजनिक दस्तावेज है, अतः संस्वीकृति प्राधिकारी को अभियोजन गवाह के रूप में बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी बशर्तें अभियोजन यह साबित करता हो कि समूची संगत सामग्री संस्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष रखी गई और इसके बाद संस्वीकृति दी गई। इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के कई अन्य फैसले भी हैं, जो उपर्युक्त विधिक स्थिति को दोहराते हैं।

4. इसीलिए, उपर्युक्त विषय पर निर्णयों की श्रृंखला के आलोक में, यह स्पष्ट है कि यदि सक्षम संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति दी जाती है और इसमें अपराध और संतुष्टि का आधार से संबंधित तथ्य निहित हैं, तो अभियोजन हेतु यह आवश्यक नहीं है कि संस्वीकृति की वैधता साबित करने हेतु संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी के व्यक्तिगत साक्ष्य के लिए उनको बुलाया जाए। यदि आवश्यक भी हो, तो मूल संस्वीकृति प्रस्तुत करके

और संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर से परिचित व्यक्ति की जांच करके इसकी पुष्टि की जा सकती है। तदनुसार, अभियोजन हेतु यह आवश्यक नहीं है कि संस्वीकृति की वैधता साबित करने हेतु संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी के व्यक्तिगत साक्ष्य पर बल दिया जाए, क्योंकि यह अन्य तरीके से भी पर्याप्त रूप से साबित किया जा सकता है।

5. तथापि, यदि अभियोजन संस्वीकृति को, बचाव पक्ष द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी की क्षमता अथवा विवेक का प्रयोग न किए जाने के आधार पर चुनौती दी जाती है और यदि संस्वीकृति की वैधता पर आरोपी द्वारा प्रथमदृष्ट्या संदेह किया जाता है, तो विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी को बुला सकता है।

6. सभी संबंधित प्राधिकरण/जांच एजेंसियाँ संस्वीकृति की वैधता साबित करने हेतु कदम उठाते समय उपर्युक्त स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी को अभियोजन हेतु गवाहों की सूची में नेमी रूप से शामिल नहीं किया जाए।



(विजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक सूची के अनुसार)
2. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
3. मानक सूची के अनुसार सभी संबंधित प्राधिकारियों को।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति प्रभाग, 27, नॉर्थ ब्लॉक।
5. निदेशक, एन.आई.सी., नॉर्थ ब्लॉक को, इस कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करते हुए।
6. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ।



(विजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

और संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर से परिचित व्यक्ति की जांच करके इसकी पुष्टि की जा सकती है। तदनुसार, अभियोजन हेतु यह आवश्यक नहीं है कि संस्वीकृति की वैधता साबित करने हेतु संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी के व्यक्तिगत साक्ष्य पर बल दिया जाए, क्योंकि यह अन्य तरीके से भी पर्याप्त रूप से साबित किया जा सकता है।

5. तथापि, यदि अभियोजन संस्वीकृति को, बचाव पक्ष द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी की क्षमता अथवा विवेक का प्रयोग न किए जाने के आधार पर चुनौती दी जाती है और यदि संस्वीकृति की वैधता पर आरोपी द्वारा प्रथमदृष्ट्या संदेह किया जाता है, तो विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी को बुला सकता है।

6. सभी संबंधित प्राधिकरण/जांच एजेंसियाँ संस्वीकृति की वैधता साबित करने हेतु कदम उठाते समय उपर्युक्त स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्वीकृति/हस्ताक्षरकर्ता/अभिप्रमाणन प्राधिकारी को अभियोजन हेतु गवाहों की सूची में नमों रूप से शामिल नहीं किया जाए।



(विजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक सूची के अनुसार)
2. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
3. मानक सूची के अनुसार सभी संबंधित प्राधिकारियों को।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति प्रभाग, 27, नॉर्थ ब्लॉक।
5. निदेशक, एन.आई.सी., नॉर्थ ब्लॉक को, इस कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करते हुए।
6. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ।



(विजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार